

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

Email ID-serjydnalanda@gmail.com.

पत्रांक.....९५६.

Mob-8986915938

प्रेषक,

नालन्दा, दिनांक:- १८.०९.२०२५

ई० संजीव कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष-MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत Pkg No. MMGSY-(AWSESH-SC)-Hilsa-288. (Tender ID-143567) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-मु०अ०-१/निविदा-०७-३३७ / 2025-1811 पटना, दिनांक-18.09.2025,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष-MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत Pkg No. MMGSY-(AWSESH-SC)-Hilsa-288. (Tender ID-143567) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव कार्य आपके अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Vijay Kumar Singh. (BID ID-627174) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -15.99 (पन्द्रह दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 2,11,60,568.00 (दो करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. कार्य का निष्पादन शीर्ष-MMGSY (AWSESH-SC) योजनान्तर्गत के मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वादाहरण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए CMBD की कंडिका 34.1 के अनुरूप Performance Security के लिए तथा निविदा के समय CMBD की कंडिका 17.1 के अनुरूप Bid Security के लिए जमा की गई राशि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा से पूर्व निविदाकार द्वारा समर्पित निविदा दस्तावेजों की विधिवत् जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। जाँच प्रक्रिया में कम से कम समय लगे, इसका ख्याल रखा जाय। बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये एकरारनामा नहीं किया जाय। एकरारनामा पश्चात् कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय इसमें कमी पाई जाती है, तो उसके दर में सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

Executive Engineer
Rural Works Department

- अनुमानित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि होने जाने की स्थिति में दस्तुस्थिति से तत्काल अधीक्षक/प्रभारी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी।
- विद्युत त्रुटि का भुगतान वास्तविक दूरी से कुलार्ड या प्राक्कलन में स्वीकृत लीड दोनों में जो कम होगा, संवेदक को भुगतान हेतु अनुमान्य होगा।
 - एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
 - कार्यक्रम के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये सम्बंध से पूरी तरह आवृत्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के अग्रसारण प्राक्कलन में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
 - कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामा अथवा कार्य के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु मौखिक कार्य प्राप्ति प्रस्तावित करवाकर प्राप्त कर लेंगे जो कि एकरारनामा का भाग होगा।
 - कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर कार्य पूरा की जाए।
 - कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0ई0/CMBD के अनुसार होगी।
 - सफल संवेदक के साथ CMBD की कंडिका-33.1 एवं 33.2 के अनुसार एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को CMBD की कंडिका 33.2 के अनुसार एक निश्चित समय सीमा दी जायेगी और उसके अंदर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थिति नहीं होने पर एकरारनामा के यात्रों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी।
 - इस कार्य का ग्राह्य ग्राह्य MMGSY (AWS/SH-SC) अंतर्गत की गई उपबंधित राशि से विकसित होगा।
 - कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की पंचमी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
 - एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आवृत्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डियार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
 - यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत् निबंधन कराना आवश्यक होगा।
 - सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है। निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरांत आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
 - विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
 - प्रारंभिक पत्र में दिये गये संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

Wan
18/01/20

(ई0 संजीव कुमार)
अधीक्षक अभियंता

पत्रांक-956

नालन्दा/दिनांक-18/01/2020

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Wan
18/01/20

अधीक्षक अभियंता

पत्रांक-956

नालन्दा/दिनांक-18/01/2020

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा

प्रतिलिपि-अधीक्षक प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Wan
18/01/20

अधीक्षक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा

Executive Engineer
Rural Works De
Works De

19.11.25